

24.4.25.

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित
प्रकरण लम्बे समय से नाफिल हेतु नियत है। प्रकरण
में दिनांक 31.1.24, को अन्तिम अवसर दिए जाने के बावजूद
कुई अवसर दिए गए बावजूद उद्योग समान प्रोसेस पेश
नहीं किए गए जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के
प्रति गंभीर नहीं है। न्यायालय द्वारा वादी एवं उद्योग अधिवक्ता
को कई बार कठ-रुक्कर आवाजे लगेवाई गई, बावजूद
उद्योग न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ
जिले स्पष्ट होता है कि वादी वाद के प्रति गंभीर
नहीं होकर वाद चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5, 8 के
तहत अदम हाजरी-अदम पेशी, एवं अदम तामिल में दायि
बिदा जाग है। निर्णय सेरेइबलाल शुनाया गया। प्रकरण
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सोनिश कुमाठी)

IAS